our territory in order to meet any threat of aggression by Pakistan, at the present moment I do not visualise our taking any action to escalate the war in that field except to the extent Pakistan's action compels us to do. If Pakistan's intention is to escalate the fighting in other fields, as evidenced by the naval bombardment of Dwaraka Port, our forces are prepared to meet the threats which may be posed by Pakistan. As far as we are concerned, our action is limited to make Pakistan realise that we will not tolerate any interference with the territorial integrity of India of which Kashmir is a part. We have to prevent the mounting of any attack by the Pakistani military machine on our territories.

MOTION RE FOOD SITUATION IN THE COUNTRY—*continued*

Sum J. S. PILLAl (Madras): Madam Deputy Chairman, the debate on the food situation is a very important one. Without food we cannot survive. Next to air and water we require food for our survival. So, I consider this as an important debate. 1 have a soft corner for the hon. Minister, not because he is a Mndrasi, but because he has got the boldness to shoulder this portfolio. For food we depend on agriculture. Agriculture depends entirely on nature. We know the vagaries of rains. When we want rain, we do not get it and when we do not need rain we get it. Agriculture depends on nature and food depends on agriculture. So, we entirely depend for food on nature. I have got some sympathy for the hon. Minister, but it does not mean that I subscribe to his view that there is scarcity of food. I buy my food, that is rice, and other things from Kharibaoli in old Delhi. Kharibaoli, as you know, is at the end of Chandni Chowk. Whenever I go there I am surprised to see *dukhans* filled with thousands of bags of rice and wheat. So, the difficulty lies in the distribution of these things. That is my opinion. Whenever 1 go to Madras during the off-session period I get stomach ache because of the very bad rice 1here. Also, another thing that I wish to bring to the notice of the hon. Minister is whenever I go to Madras j see long queues before each ration shop. The hon. Minister can yive more rice ration shops so that the-e may not be difficulty in the distribution of rice. I was told in Madras that each man or woman is ttiven 8 ounces of rice and 4 ounces of wheat. Somebody here said that wheat is not necessary for Madras, as very few people in Madras like wheat. So, I submit, take away the wheat from there and distribute it here. You can give us 12 ounces of rice. That will satisfy Madrasis.

Another thing j would like to bring to the notice of the hon. Minister is that during this off-session I had been to Tiruchendur in Tinnevelley district, where the farmers met me and told me that for procurement the officers do not take rice from the fields. These farmers were being asked to bring rice to the rice mill and procurement takes place there. That is what they have told me. Then, they also told me that the expenses to bring it from the field to the rice mill were borne by these fa-mers. I wish to know from the hon. Minister as to why the Government should not bear this. These poor farmers should not be asked to bear cartage from the fields to the rice mill.

Another thing also they told me. From the rich landlorr] who owns thousands of *veils* of land—land of 5J acres is called a *veli* in Tamil—nothing is taken. Only these middle-class farmers, who own about flve to six acres, were asked to give rice by these officials. Another thing is that the Harijans met me there and told me that thev were not able to get good rice. As you know, in villages and other places Harijans are not asked to stand in the middle of the rrunue. They were asked to stand at the end of the queue and by the time

[Shri J. S. Pillai.] it comes to half of the queue, the rice is also exhausted. They told me that this was what had happened in the past; at that time Mr. Subramaniam was not a Minister. Perhaps he might have read this in papers at that time. The Chief Minister, Mr. Prakasam, was handling this portfolio and he gave this order, that is, wherever the Harijans wanted a ration shop, it should be given to them. The rule now is only those who trade in rice for three years are to be given permits or ration shops. They have abolished the previous rule, namely, wherever Harijans are there in a locality they should be given a ration shop to be owned by Harijans. I hope the hon. Minister will do it.

Another thing is this. The other day, two or three days ago, you will remember that Ayub Khan declared war on our country. At once the small *dukhanwala,* **who is selling** .san.fi, raised the price by one rupee. For instance, in respect of *sabjis* like brinjal, potatoes and other things they have raised the price by one rupee per kilo. I think the hon. Minister should have an eye on all these things.

Then, another thing to which I wish to invite the attention of the Minister is this. Good rice should be given to our 'jawans' who are fighting and also to the families of the Jawans who are residing here. We all know that whenever we go out of our house, our mind is working always about the family. So the jawans would always be thinking of their family. The jawans' families should also be given good rice, and they should be made to communicate this to the jawans because they would be anxious about them. We must see that they are given good rice. This is a very important thing. Then only they will have peace of mind. Otherwise their mind will be working about their own family. This is a thing which the hon. Minister can bear in mind and carry out. I know that a speech will not make more rice to grow, but if he carries out some of our suggestions it will give some peace for ourselves.

श्री उद्धवराव साहेबराव पाटिल (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, आज के प्रस्ताव पर, जिस पर बहुत से लोगों ने अपने विचार प्रकट किये है, मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस प्रश्न को बहुत से पहलुओं से देखा जाना चाहिये क्योंकि हाउस में कई मेम्बरों को इसके बारे में गलतफहमी है कि महंगाई से किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा है, या किसान अपनी फसल को ज्यादा कीमत पर अपनी मर्जी के मुताबिक बेचते हैं। मगर मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है। आप यहां की इन्डस्ट्रीज को देख लीजिये, कपड़े से लेकर कील तक, सीमेन्ट हो या कोई दूसरी चीज हो, जो ये इन्डस्ट्रीज बनाती है, उनमें अपना काफी मार्जिन रखकर हुकूमत को ज्यादा कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करती है कि इस तरह के प्राइसेज मुकर्रर किये जाने चाहियें। लेकिन जो वाकई किसान है और 75 फीसदी किसान ऐसे है जो अपना अनाज न रखकर दीगर चीजें खरीदने के लिए बेचते है। उस समय वह कभी नहीं कहता है कि ज्वार ५ रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया के हिसाब से बेची जानी चाहिये। वह तो अपना अनाज लेकर मंडी में जाता है और वहां पर दलाल उसकी चीजों को नीलाम कर देता है। खरीददार बोली बोलकर और अपना भाव लगाकर उसकी चीज को खरीद लेते हैं और उसको मजबूर होकर देना पड़ता है। अगर वह अपना माल वहां पर नहीं बेचता है तो कोई बोली नहीं बोलता है और न दूसरी जगह उसका मोल बिकता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसको सस्ते दामों पर दलालों के जरिये माल

बेचना पड़ता है और खरीददार अपने भाव पर माल खरीद लेते हैं। इसी लिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की हालत बहुत खराब है।

मुझे उम्मीद थी कि किसानों की भलाई के लिए जो प्राइस कमिशन बनाया गया था, जिसमें बड़े बड़े विद्वान लोग थे, जिसमें एकनामिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जिनको हिन्दुस्तान और दुनिया के जो कारखानेदार माल तैयार करते हैं उसकी कीमत मुकर्रर करने का तजुर्बा था उन्होंने भी किसानों के अनाज के दामों को ठीक तरह मुकर्रर करने की कोशिश नहीं की। अगर नवल टाटा या दूसरे बड़े बड़े कारखानेदारों से यह कहा जाय कि फलां चीज के दामों में इतने पैसे की कमी कर दी जाय तो वे इस तरह की बातों को भी नहीं सुनेंगे। अगर आप किसी इन्डस्ट्री वाले से कहिये कि सीमेन्ट की कीमत दो रुपया कम कर दो तो वह कभी नहीं करेगा। मुझे ताज्जुब है कि प्राइस कमिशन ने किसानों के अनाजों की जो प्राइस मुकर्रर की है उसमें उनके कास्ट आफ लिविंग और प्रोडक्शन की कीमत को ध्यान में रखकर दाम मुकर्रर नहीं किये। उन्होंने महज यह कहकर कि खानेवालों और पैदा करने वालों में दामों के बारे में झगड़ा हो जायेगा इसलिए उन्होंने शायद ख्वाब या स्वप्न में राइस के दाम 35, 36 रुपया मुकर्रर कर दिये और ज्वार के दाम 41 रुपया कर दिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जब प्राइस कमिशन में इतने बुद्धिमान आदमी थे तो उन्होंने इतनी सादी चीज को क्यों नहीं समझा और किसान का जितना प्रोडक्शन में खर्च होता है और इस समय कास्ट आफ लिविंग जो है, उसको सामने रखकर प्राइसेज क्यों मुकर्रर नहीं कीं? उन्होंने 10 या 15 फीसदी मार्जिन रखकर प्राइसेज को मुकर्रर नहीं किया, जो मैं समझता हूं कि मुनासिब बात नहीं की गई।

आज हमारी सरकार किसानों के बलबूते पर यहां पर बैठी हुई है और आज सब चीजें, यह हाउस, मिलिटरी, सब उन्हीं के बलबूते पर चल रही है। इतना होने पर भी प्राइस कमीशन ने किसानों की चीजों की कीमत मुकर्रर करने में हिच-किचाहट क्यों की? हमारे प्रथम प्रधान मंत्री ने 1951 में कहा था कि हमारा देश खाने के मामले में अपनी कमी को पूरा कर लेगा और हमारे सुब्रह्मण्यम साहब भी कहते हैं कि चौथी योजना में खाने के मामले में स्वावलम्बी हो जायेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह बात कैसे होगी। इस समय पानी के इस्तेमाल करने के लिये जो खर्च होता है, मैन्योर में जो खर्च होता है फर्टीलाइ-जर पर जो खर्च होता है अगर वह न हो तो मैं नहीं समझता कि आपका देश खाने के मामले में स्वयं पूर्ण हो सकेगा या स्वाव-लम्बी हो जायेगा। आपने जो इस तरह की कल्पना कर रखी है कि हम इतना खर्च करके देश में खाने की समस्या हल कर लेंगे, उसमें मुझे शक है और इसको एक कल्पनामात्र ही समझता हूं।

अब मैं आपके सामने डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जमीन का यह हाल है कि उसके बारे में जितने कानून बनाये जा चुके हैं वे सब हवा में ही उड़ रहे हैं और किसी किसान को जमीन जोतने के लिए जमीन नहीं मिली है और इस तरह से देश में एक अनार्किस्ट कंडिशन पैदा हो गई है। जो हल चलाता है वह यह नहीं समझता है कि क्या पैदा होगा क्योंकि जमीन जमींदारों के पास रहती है और मालिक यह नहीं समझता है कि यह जमीन मेरे पास रहेगी या नहीं। इस तरह से खेतों में खेती नहीं हो रही है जिसकी वजह से अनाज की सारे देश में कमी होती जा रही है। आप कानून के द्वारा उपज बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसमें आपको अभी तक कोई काम-याबी नहीं हुई है।

[श्री उद्धवराव साहेबराव पाटिल]

दूसरी चीज मैं प्राइस कमिशन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि उनका इस बारे में जो नजरिया है वह केवल ख्वाबी नजरिया है। हमारे अर्थ मंत्री जी ने मार्च के महीने में यह कहा था कि अगर बाहर के लोग यहां पर अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं तो हम उनको डायरेक्ट टैक्सेज में 100 करोड़ रुपये का कनसेशन देंगे और कल उन्होंने कहा कि चौथी योजना में इस काम के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जायेगा। लेकिन मैं बदकिस्मती के साथ कहना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर आप 10, 15 सालों से जो टैक्स लगाते आ रहे हैं वह दस गुना बढ़ गया है। आज किसानों की कास्ट आफ लिविंग बढ़ गई है। उन्हें अपनी जरूरत की चीजों के लिए बहुत काफी कीमत देनी पड़ती है लेकिन उनके चीजों के दाम प्राइस कमिशन ने नहीं बढ़ाये हैं। आज किसान को कपड़े, लोहे के सामान के लिए और अपनी जरूरत की दूसरी चीजों के लिए बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। किसान को तेल से लेकर बैल तक, सब चीजों के दाम ज्यादा देने पड़ते हैं और इन चीजों को वह बाजार से ज्यादा दामों में खरीदता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप असली बुनियादी बात चाहते हैं, देश में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तो किसानों की चीजों की कीमत भी आपको ठीक तरह से मुकर्रर करनी पड़ेगी। इस बारे में बहुत से सवाल उठते हैं कि अगर गल्ले के दाम 60 रुपया कर दिया जायेगा तो खरीदने वाले का क्या होगा। मैं 60 रुपया नहीं मानता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो पैदा करने वाला किसान है उसको भी उसकी जरूरत की चीजों को सस्ती दामों पर दीजिये। आप उसको लोहा, फर्टीलाइजर और जिन्दगी की जितनी जरूरी चीजें हैं, उसे कम कीमत पर दें। इस बारे में मेरा यह कहना है कि इन्डस्ट्रीज के प्राइसेज को स्टेबलाइज कर दिया जाना चाहिये और एक को रिलेटेड प्राइस बनाया जाना चाहिये जिससे किसानों को उनकी जरूरत की चीजें ठीक दाम पर मिल सकें।

इस बारे में एक गलतफहमी यह हो गई है कि जब यह कहा जाता है कि अगर किसानों की पैदावार की चीजों के दाम बढ़ाये जायेंगे तो खानेवालों का क्या होगा। लेकिन जो 75 फीसदी किसान हमारे देश में हैं वे खानेवाले ग्राहक बनकर आते हैं और अपने घर का नहीं खाते हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में एक इन्क्वायरी कमिशन बनाकर देख लीजिये कि किसानों को उनकी उपज का 10 फीसदी भी दाम नहीं मिलते हैं। इसलिए ये बातें प्रोडक्शन के बारे में कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बारे में कोई न कोई कार्यवाही जरूर करेगी।

अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन के झगड़े के बारे में कहना चाहता हूं और इस बारे में मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आपके गाड़ी के घोड़े को आगे आना चाहिये लेकिन आप उसको गाड़ी के पीछे बांधते हैं। हमारे भूपेश गुप्त ने प्रोडक्शन के बारे में तीन बातें कहीं कि सरकार ने इस साल 88·87 मिलियन टन का प्रोडक्शन टार्गेट रखा है और बाहर से 6 मिलियन टन अनाज ला रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये और मैं नहीं समझता कि इतने पर भी हमारे देश में गल्ले के बारे में कोई क्राइसेस होगी। लेकिन इस बारे में जो झगड़ा है वह केवल चन्द अनाज रखने वाले लोगों का है, उन्हीं के बीच में है और सरकार उन्हें हाथ भी नहीं लगाती है। मैंने अपने महाराष्ट्र में यह देखा कि ज्वार की प्रोक्योरमेंट करने की जो कीमत मुकर्रर की गई थी उससे भी 5 रुपया ज्यादा वहां की सरकार ने ले लिया और किसानों को नहीं दिया गया। ज्वार की जो 45 रुपया प्राइस रखी गई वह ख्वाब में तैयार की गई है और उसमें

किसी प्रिंसिपल का ख्याल नहीं रखा गया। हमारे तहसील में कलेक्टर ने जिसे चाहा नोटिस दे दिया, इतना किलो ज्वार दो चाहे वे एक या 10 किलो ही ज्वार पैदा करते हों। जो दौलतमन्द किसान हैं, जो 200 या 300 मन ज्वार पैदा करते हैं उनसे भी उतना ही प्रोक्योरमेन्ट किया गया जितना उनसे जो 10 या 15 किलो पैदा करते हैं। इस तरह से दौलतमन्द लोगों से कम ज्वार लिया गया और जो छोटे किसान हैं उनसे उनका सब कुछ ले लिया गया। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि जिन दौलतमन्द लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाये गये, उनको छुड़ाने के लिए मिनिस्टरों ने फोन किया और छोड़ने के लिए कहा। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट नाम चाहती है तो मैं नाम ले सकता हूं कि किस मिनिस्टर ने इस तरह की बात की। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपको मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट करने का जो तरीका है उसे ठीक तरीके से लागू किया जाना चाहिये। आपने देखा होगा कि क्या प्राइस हो गई और कितनी जल्दी हो गई। इसका यह कारण था कि आप की प्रोक्योरमेन्ट की जो पालिसी थी, वह गलत इस्तेमाल की गई जिस की वजह से आज गरीब किसानों के पास खुद के खाने के लिए नहीं रहा। उसके बाद उनको दौलतमन्दों को डेढ़ गुना कीमत देनी पड़ती है।

5. P.M.

दूसरा मसला महाराष्ट्र के बारे में यह है कि यह तक्सीम तनी गलत बुनियाद पर है कि बम्बई में एक आदमी को दस किलो दिया जाता है, पूना में एक आदमी को 6 किलो दिया जाता है और कोलाबा में एक आदमी को 8 किलो दिया जाता है। देहातों में तो दो तीन किलो या जितनी मर्जी आये दे दिया जाता है। यकीनन ऐसे लोग जो परेशान हो जाते हैं, वे लूटते भी हैं, लेकिन लूटने का प्रोग्राम कोई नहीं बनाता है और अनाज जलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। यह तो अफवाहें हैं जो उनको बदनाम करने के लिये उड़ाई जाती हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि हमें चार किलो मिले, तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास के घर में गेहूं की रोटी बनती है और आपका भूखा बच्चा रोता हुआ आये और कहे कि मुझे गेहूं की रोटी दो, तो आप सोचिये कि आप की क्या हालत होगी। हम यहां बैठे हुये यह कह सकते हैं कि संतुष्टता होनी चाहिये। हम यह भी कह सकते हैं कि काश्मीर और चीन का प्रश्न है। हम ये सब बातें इस लिये कह सकते हैं क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है और हम अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं।

फिर ऐसे 30 टका लोग ही हैं, जिन को अनाज दिया जाता है। सब लोगों को अनाज नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र में सिर्फ 30 फी सदी लोगों को अनाज दिया जाता है और वह भी एक आदमी को तीन चार किलो दिया जाता है। अब आप खयाल कीजिये कि इससे एक महीना कैसे काम चलेगा। और जिन को 12 आने या 8 आने रोज मिलते हैं, उनसे क्या हम यह उम्मीद करते हैं कि वे एक रुपया किलो ज्वार ले कर अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं। तो यह मसला बहुत अहम है। मैं यह समझ सकता हूं कि हम चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, हमारे पास मैन पावर है और हमारी जो मिलिट्री है उसको हम अच्छे अच्छे आर्मामेंट्स दे सकते हैं। लेकिन मिलिट्री में काम करने वालों के जो बच्चे देहात में रहते हैं, उनके बच्चों को अगर हम तीन चार किलो अनाज देने की कोशिश

[श्री उद्धवराव साहेबराव पाटिल]

करेंगे, तो यह ठीक नहीं है। अंत में मैं यह फिर कहूंगा कि आम लोगों में देशप्रेम की कमी नहीं है, मगर गवर्नमेन्ट की गलत नीतियों के कारण लोग लूटने के लिये मजबूर हो जाते हैं। हमारी संस्कृति लूटने से रोकती है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 10-00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at two minutes past five of the clock till ten of the clock on Thursday, the 9th September 1965.

GMGIPND—RS—642 RS—J. C. No. 10212/65-66-^19-1-66—570-